

राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित /ट्रेनिंग /2010 / ७५८

दिनांक : २९/१०/११


—: आदेश :—

निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 08.11.10 से 20.11.10 तक Induction/ Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारीयों को मनोनीत किया जाता हैं :—

क्रं. सं.	अधिकारी का नाम	पदस्थापन स्थान
1	डा० ज्ञान प्रकाश गौड़, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र भडसिया (नागौर)
2	डा० विरेन्द्र कुमार गुप्ता, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र मनाना (नागौर)
3	डा० विवेक सिंघल, चि०अ०प्रभारी	प्रा०स्वा०केन्द्र भरनी (टोंक)
4	डा० सुनिता दुआ, व०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र लाखेरी (बून्दी)
5	डा० मनोज कुमार बैन्द्रा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र गोटियाना (अजमेर)
6	डा० दिनेश कुमार पारीक, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र अमरवासी (भीलवाड़ा)
7	डा० सरोज चौधरी, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र सेखसर (बीकानेर)
8	डा० महेन्द्र कुमार, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बिन्दासर (चूरू)
9	डा० बद्री राम, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)
10	डा० सुरेन्द्र पाल, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र साजीपुरा (हनुमानगढ़)
11	डा० लेखराज मालव, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र छबडा (वांरा)
12	डा० विनोद शर्मा, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र हिण्डौली (बून्दी)
13	डा० मेघना गुप्ता, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र पिडावा (झालावाड़ा)
14	डा० रिशी कच्छावा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र अनवा (कोटा)
15	डा० शैलेन्द्र कुमार गर्ग, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र झारेडा (करौली)
16	डा० बाबूलाल शर्मा, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र खण्डार (सवाई माधोपुर)
17	डा० सुनील कुमार सैनी, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र चन्दुजीगाड़ा (बांसवाड़ा)
18	डा० संजीव सक्सैना, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र रावतभाटा (चित्तौडगढ़)
19	डा० अमित अवस्थी, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र फालोज (झूंगरपुर)
20	डा० कल्पेश कुमार जैन, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र देवला (प्रतापगढ़)
21	डा० लोकेन्द्र डाबी, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र माचिन्द (राजसमन्द)
22	डा० राहुल तनेजा, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र लसाडिया (उदयपुर)
23	डा० शिव राम प्रजापत, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र भीमडा (बाडमेर)
24	डा० पीरु सिंह भाटी, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र खानदीन (बाडमेर)
25	डा० महिमा शर्मा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र झिनझिनयाली (जैसलमेर)
26	डा० उज्ज्वल कुमार गुप्ता, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र रानीवाड़ा (जालौर)
27	डा० शैलेन्द्र कुमार व्यास, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र रेवतडा (जालौर)
28	डा० योगिता जैन, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र लूणी (जोधपुर)
29	डा० कन्हैया लाल शर्मा, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र कुशालपुरा (पाली)
30	डा० छाया गुप्ता, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सिकन्दरा (दौसा)

31	डा० राजेश अग्रवाल, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र जासुपुरा (धौलपुर)
32	डा० राजेश कुमार मीणा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र गढीसविराम (अलवर)
33	डा० रामनरेश कुम्भकार, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सिकरी (भरतपुर)
34	डा० अल्का गुप्ता, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र शाहपुरा (जयपुर)
35	डा० राजेन्द्र प्रसाद यादव, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बबाई (झुञ्जुनू)

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त प्रोग्राम में भाग लेने हेतु दिनांक 07.11.10 को सांय निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगें अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.(6)ट्रेनिंग(पी.एल.2)आरएचएसडीपी/2007/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसरण में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि उनके वेतन से वसूली की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिनकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को यह भी निर्देशित करावें कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई हैं, इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र को भी) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उपरोक्त मनोनीत चिकित्सकों में से यदि किसी ने पूर्व में यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हैं तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं करें।


  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :— राजपत्रित/ट्रेनिंग/2010/ ८५८

दिनांक : २२/१०/१०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आरएचएसडीपी, मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक F7(6)/SIHFW/Ind.Trn./2010-11/2827-29 दिनांक 16.10.10 के क्रम में भेजकर लेख हैं कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावें ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कार्यालय, जिला ..... को भेजकर लेख हैं कि प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उक्त चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने हेतु निर्देशित करें।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
6. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख हैं कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 07.11.10 को सांय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
8. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्यालय को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख हैं कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय से संबंधित की वेबसाइट पर तुरन्त डलवाने का श्रम करें।
10. आदेश पत्रावली।

  
अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।